अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक–प्र0 11 / पथ संधारण–10–01 / 2014 1436(E) पटना, दिनांक 25/2/2015

प्रेषक,

लक्ष्मी नारायण दास,
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग
सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग।
सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग।

विषय :– **Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Contract (OPRMC) कार्यों से संबंधित बीडिंग डॉक्यूमेंट MBD की कंडिका GC 36 Unforeseen Condition के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक–5114(ई) दिनांक–06.11.2014 द्वारा निर्गत निदेश की कंडिका–7,8 एवं 9 में संशोधन के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–प्र० 11 / पथ संधारण–10–01 / 2014–5114 (ई) दिनांक–06.11.2014

महाशय,

1. विभिन्न समीक्षात्मक बैठकों में तथा मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, प०नि०वि०, दरभंगा का पत्रांक–183 दिनांक–28.01.2015 एवं मुख्य अभियंता (या०), दक्षिण बिहार उपभाग, प०नि०वि०, पटना का ज्ञापांक–338 (अनु०), दिनांक–01.02.2015 द्वारा बिहार पथ आस्तियाँ अनुरक्षण नीति 2013 के अधीन निरूपित Long Term Output and Performance Based Road Assets Maintenance Contract (OPRMC) पद्धति से संधारित किये जा रहे पथों के एकरारनामा (Maintenance Bidding Document) की कंडिका GC 36 के Unforeseen Condition के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक–5114 (ई) दिनांक–06.11.2014 द्वारा निर्गत दिशा निदेश के संबंध में कतिपय संशोधन हेतु अनुरोध किया गया है।

2. अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 19.02.2015 को सम्पन्न बैठक, विभिन्न विभागीय निदेशों एवं वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के उद्देश्य

से सम्यक विचारोपरांत विभागीय पत्रांक 5114 (S) दिनांक 06.11.2014 की कंडिका 7,8 एवं 9 के प्रावधान को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :–

2.1 संवेदक से प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार्य होने की स्थिति में कार्यपालक अभियंता द्वारा पूर्ण औचित्य अंकित करते हुए प्राक्कलन अधीक्षण अभियंता को भेजा जाएगा। कार्य की प्राक्कलित राशि के अनुरूप इसे स्वीकृत करने की सक्षमता निम्नवत होगा :–

क्रम सं०	कार्य की प्राक्कलित राशि	प्राक्कलन स्वीकृत करने की सक्षमता
1	पैकेज विशेष के लिए प्रशासनिक अनुमोदन की समानुपातिक राशि से 5% की अधिसीमा तक परन्तु एक पथ में आवश्यक सभी कार्यों का एक प्राक्कलन जिसकी अधिकतम प्राक्कलित राशि 70.00 लाख है।	अधीक्षण अभियंता संबंधित कार्य अंचल
2	पैकेज विशेष के लिए प्रशासनिक अनुमोदन की समानुपातिक राशि से 5% से अधिक एवं 10% से कम की राशि तक (एक पथ में आवश्यक सभी कार्यों का एक प्राक्कलन जिसकी प्राक्कलित राशि 70.00 लाख से 3.50 करोड़ के बीच है तथा 70.00 लाख से कम के ऐसे प्राक्कलन जो अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृति की अधिसीमा में नहीं है)।	मुख्य अभियंता संबंधित उपभाग
3	पैकेज विशेष के लिए प्रशासनिक अनुमोदन की समानुपातिक राशि से 10% से अधिक एवं 20% से कम एवं/अथवा प्रमंडल विशेष के लिए प्रदत्त प्रशासनिक अनुमोदन की समानुपातिक राशि से 10% की अधिसीमा के अन्तर्गत जो अधिक है।	अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

2.2 उक्त कंडिका 2.1 के प्रस्तावित प्रावधान मात्र वैसे कार्यों के लिए मान्य होगें जिसकी सूचि मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, प०नि०वि०, दरभंगा के पत्रांक–183 दिनांक–28.01.2015 तथा मुख्य अभियंता (या०), दक्षिण बिहार उपभाग, प०नि०वि०, पटना के ज्ञापांक–338 अनु०, दिनांक–01.02.2015 द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता होने पर मुख्य अभियंता द्वारा पूर्ण समीक्षा कर उक्त कंडिका 2.1 में अंकित अधिसीमा के अधीन उनके स्तर पर ही अनुमति दी जा सकेगी तथा इसकी सूचना मुख्यालय को दी जाएगी।

2.3 उक्त से निम्न स्थिति में अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, प०नि०वि०, पटना द्वारा उक्त कंडिका 2.1 के प्रावधानों के आधार पर समीक्षोपरान्त स्वीकृति दी जाएगी।

2.4 पैकेज विशेष के लिए प्रदत्त प्रशांसनिक अनुमोदन की समानुपातिक राशि से 20% अथवा प्रमंडल विशेष के लिए प्रदत्त प्रशासनिक अनुमोदन की समानुपातिक राशि से 10% की अधिसीमा के

समतुल्य राशि तक ही उक्त प्रावधान एवं सक्षमता के अधीन कार्य कराया जा सकेगा। इससे अधिक कार्य/राशि की आवश्यकता होने पर पूर्ण प्रतिवेदन मुख्यालय को भेजा जाएगा जिसपर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाएगा। वृहद् आवश्यकता होने पर MBD के प्रावधान के आलोक में पथांश को OPRMC पैकेज से delete कर पृथक योजना स्वीकृत करते हुए भिन्य एकरारनामा से कार्य कराने पर विचार किया जाएगा।

विभागीय पत्रांक– 5114 (E) दिनांक– 06.11.2014 इस हद तक संशोधित समझा जाए।

विश्वासभाजन

Laksmi 25/2/15

(लक्ष्मी नारायण दास)

ज्ञापांक–प्र011/पथ संधारण–10–01/2014 1436(E) पटना, दिनांक : 25/2/2014

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के सचिव (प्रावैधिक)/विशेष पदाधिकारी (या0)/अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/पथ संधारण कोषांग एवं मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि की CD के साथ अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) को इस अनुरोध के साथ कि वे सभी संबंधित को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित करा दें तथा विभागीय वेबसाईट पर इसे Upload कराने की कृपा करें।

Laksmi 25/2/15

(लक्ष्मी नारायण दास)

ज्ञापांक–प्र011/पथ संधारण–10–01/2014 1436(E) पटना, दिनांक : 25/2/2015

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव तथा प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

Laksmi 25/2/15

(लक्ष्मी नारायण दास)